



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]
No. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2001/वैशाख 4, 1923
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2001/VAISAKHA 4, 1923

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2001

का.आ. 350(अ)— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1181, तारीख 4 अप्रैल, 1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(क) क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3
"1.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, सं. 7 [447.000 कि.मी. से 464.000 कि.मी. (नागपुर-हैदराबाद) और 22.300 कि.मी. से 34.800 कि.मी. (हैदराबाद - बंगलौर)] तक छोड़कर सं.9 (विजयवाड़ा से मछलीपट्टम खंड सहित) 217.0 कि.मी. से 266.4 कि.मी. छोड़कर (नन्दीगाम से विजयवाड़ा तक) सं. 16, सं. 43, सं. 63, सं. 202, सं. 205 और सं. 219 का आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्थित खंड और रा.रा. सं. 18 और सं. 214	आंध्र प्रदेश राज्य सरकार"

(ख) क्रम संख्यांक 2घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

2घ	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54, सं. 44क, सं. 150 और सं. 154 का मिजोरम राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 54 क और सं. 54 ख	मिजोरम राज्य सरकार"
----	--	---------------------

(ग) क्रम संख्यांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"3	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, सं. 19, सं. 28, सं. 31, [410.000 कि.मी. से 419.000 कि.मी. और 470.000 कि.मी. से 476.150 कि.मी. (पूर्णिया- गोरकाटा) को छोड़कर] सं. 78, सं. 80, सं. 81, सं. 98, सं. 99 का बिहार राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 28क, सं. 30, सं. 30क, सं. 57, सं. 77, सं. 82, सं. 83, सं. 84, सं. 85 सं. 102, सं. 103, सं. 104, सं. 105, सं. 106 और सं. 107	बिहार राज्य सरकार"
----	---	--------------------

3क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2, सं. 23, सं. 31, सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं. 78, सं. 80, सं. 98, सं. 99 का झारखंड राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, सं. 32, सं. 33 और सं. 100	झारखंड राज्य सरकार"
----	--	---------------------

(घ) क्रम संख्यांक 4 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"4क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 [(340.000 से 350.000 कि.मी. आबू रोड- डीसा तक छोड़कर)] सं. 15 और 59 का गुजरात राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 क (कंडला से मांडवी खंड सहित), सं. 8ख, सं. 8ग और सं. 8घ और सं. 8ड	"गुजरात राज्य सरकार"
-----	--	----------------------

(च) क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"6	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 17, सं. 47, सं. 49, सं. 208, सं. 212, सं. 220 का केरल राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47क, और सं. 213	केरल राज्य सरकार"
----	---	-------------------

(छ) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"7	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [60.000 से 70.000 कि.मी. तक आगरा-ग्वालियर को छोड़कर] सं. 7, सं. 12, सं. 12क, सं. 25, सं. 26, सं. 27, सं. 59क, सं. 69, सं. 75, सं. 75 का विस्तार, सं. 76, सं. 78, सं. 79, सं. 85 और सं. 92 का मध्य प्रदेश राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59 और सं. 86 का विस्तार ।	मध्य प्रदेश राज्य सरकार"
----	---	--------------------------

"7क	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 [308.6 कि.मी. से 323.6 कि.मी. को छोड़कर (दुर्ग बाईपास)] सं. 12क, सं. 16, सं. 43 सं. 78, सं. 200, सं. 202 और सं. 217 का छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 216	छत्तीसगढ़ राज्य सरकार"
-----	--	------------------------

(ज) क्रम संख्यांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"8	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 [0.0 से 103.0 कि.मी. (चेन्नै से रानीपेत) को छोड़कर] सं. 7, [(134.000 से 141.000 और 156.000 से 163.400 कि.मी. कृष्णागिरी - सेलम - मदुरै को छोड़कर)] [33.0 से 94.0 (हासर से कृष्णागिरि) को छोड़कर] और 45 क [(तमिलनाडु/ पांडिचेरी सीमा से नागपट्टीनम तक के खंड सहित)] सं. 47, सं. 49, सं. 66, सं. 205, सं. 207, सं. 208, सं. 209 और सं. 220 का तमिलनाडु राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7क, सं. 67, सं. 68, सं. 45ख और सं. 210	तमिलनाडु राज्य सरकार"
----	---	-----------------------

(झ) क्रम संख्यांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"9	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4, [0.0 कि.मी. से 592.0 कि.मी. (बंगलौर से कर्नाटक - महाराष्ट्र सीमा) तक छोड़कर]	कर्नाटक राज्य सरकार"
----	--	-------------------------

सं. 4क, सं. 7 [(524.000 कि.मी. से 527.000 कि.मी., 535.000 कि.मी. से 538.000 कि.मी. और 538.000 से 539.000 कि.मी., (हैदराबाद-बंगलौर खंड) को छोड़कर] [0.0 कि.मी. से 33.0 कि.मी. (बंगलौर से कर्नाटक - तमिलनाडु सीमा) को छोड़कर] सं. 9, सं. 13 (चित्रदुर्ग से मंगलौर खंड सहित) सं. 17, सं. 63, सं. 207, सं. 209 और सं. 212 का कर्नाटक राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48, सं. 206 और सं. 218

(ट) क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"10	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 [(233 कि.मी. से 418 कि.मी. तक आंध्र प्रदेश - उड़ीसा सीमा से भुवनेश्वर तक छोड़कर)] (0.0 कि.मी. से 200.000 कि.मी. भुवनेश्वर से बालासोर) सं. 6, सं. 23, सं. 43, सं. 60, सं. 200 और सं. 217 का उड़ीसा में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5क, सं. 42, सं. 201, सं. 203 और सं. 215	उड़ीसा राज्य सरकार"
-----	---	------------------------

(ठ) क्रम संख्यांक 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"12 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 [(41.000 कि.मी. से 51.000 कि.मी. (आगरा - धौलपुर खंड) को छोड़कर] सं. 11, सं. 12, सं. 14, सं. 15, सं. 65, सं. 65 का विस्तार, सं. 76, सं. 79 का राजस्थान राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11क, सं. 89 और सं. 90	राजस्थान राज्य सरकार"
--	----------------------------------

(ड) क्रम संख्यांक 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"13 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2क, सं. 3 (8.00 कि.मी. से 24.00 कि.मी. आगरा - ग्वालियर खंड को छोड़कर) सं. 7, सं. 11 सं. 19, सं. 24 [27.62 कि.मी. से 59.00 कि.मी. (हापुड़ बाइपास सहित गाजियाबाद - हापुड़ खंड को छोड़कर) तथा 148.43 कि.मी. से 166.65 कि.मी. (मुरादाबाद बाइपास) को छोड़कर] सं. 25 (59.500 कि.मी. से 75.500 कि.मी. और 11.389 से 21.800 कि.मी. (लखनऊ-कानपुर खंड) को छोड़कर सं. 26, सं. 28, सं. 58, सं. 72, सं. 73, सं. 74, सं. 75, सं. 75क, सं. 75 का विस्तार, सं. 76, सं. 86, सं. 87, सं. 92 का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 29, सं. 56, सं. 91, सं. 93, सं. 96 और 97.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार"
---	--------------------------------------

13 क राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 (228 कि.मी. से 524 कि.मी. तक छोड़कर) सं. 72, सं. 73, सं. 74, सं. 87 का उत्तरांचल राज्य में स्थित खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 94 (123 कि.मी. से 128 कि.मी. तक यमुनोत्री के निकट धरासु से कुठनाने)	उत्तरांचल राज्य सरकार"
--	-----------------------------------

(ढ) क्रम संख्यांक 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"14 राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (0.0 कि. मी. से 136.000 कि.मी.) (कलकत्ता से खड़गपुर) को छोड़कर सं. 31 (447 कि.मी से 470 कि.मी. एवं 476.150 कि. मी. से 500 कि. मी., डलखोला से इस्लामपुर उपखंड 1 एवं 2 को छोड़कर), सं. 31 ग, 32, 60 (खड़गपुर से आसनसोल खंड सहित) और सं. 81 का पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित खंड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 34, सं. 35, सं. 41 और सं. 55	पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार"
---	---------------------------------------

[सं. एनएच-14012/1/2001-पी एंड एम]

एस.सी. शर्मा, महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.नि.आ. सं. 1181 तारीख 4.4.1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उनमें अंत में का.आ. 1024 (अ) तारीख 1.12.1998, का.आ. 77 (अ) तारीख 4.2.1999 और का.आ. 195 (अ) तारीख 6.3.2000 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2001

S.O. 350(E).— In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the then Ministry of Transport, number S.R.O.1181, dated the 4th April, 1957, namely :-

(a) for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

1.	2.	3.
"1	So much of National Highways No. 4, No. 7 [excluding from Km. 447.000 to Km. 464.000 (Nagpur-Hyderabad) and from Km. 22.300 to Km. 34.800 (Hyderabad-Bangalore)] No.9 (including portion from Vijayawada to Machilipatnam) excluding Km. 217.0 to 266.4 (from Nandigama to Vijayawada) No. 16, No. 43, No. 63, No. 202, No. 205 and No. 219 as are situated within the State of Andhra Pradesh, and National Highways No. 18 and No. 214.	State Government of Andhra Pradesh";

(b) for serial number 2D and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

2D	So much of National Highways No. 54, No. 44A No. 150 and No. 154 as are situated within the State of Mizoram and National Highways No. 54A and No. 54B.	State Government of Mizoram";
----	---	-------------------------------

(c) for serial number 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"3	So much of National Highways No. 2, No. 19, No. 28, No. 31 [excluding from Km. 410.000 to Km. 419.000 & Km. 470.000 to Km.476.150 (Purnea-Goyerkata)], No. 78, No. 80, No. 81, No. 98, No. 99 as are situated within the State of Bihar and National Highways No. 28A, No. 30, No. 30A, No. 57, No. 77, No. 82, No. 83, No. 84, No. 85, No. 102, No. 103, No. 104, No. 105, No. 106 and No. 107.	State Government of Bihar
3A	So much of National Highways No. 2, No. 23, No. 31, No. 75, Extensionn. of No. 75, No. 78, No. 80, No. 98, No. 99 as are situated within the State of Jharkhand and National	State Government of Jharkhand";

	Highways No. 6, No. 32, No. 33 and No. 100	
--	--	--

(d) for serial number 4A and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"4A	So much of National Highways No. 14 [(excluding from Km. 340.000 to Km. 350.000 Abu Road-Dessa)], No. 15 and No. 59 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A (including portion from Kandla to Mandvi), No. 8B, No. 8C, No. 8D and No. 8E.	State Government of Gujarat";
-----	--	-------------------------------

(f) for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

"6	So much of National Highways No. 17, No. 47 No. 49, No. 208, No. 212, No. 220 as are situated within the State of Kerala and National Highways No. 47A and No. 213.	State Government of Kerala";
----	---	------------------------------

(g) for serial number 7 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"7	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 60.000 to Km. 70.000 Agra-Gwalior] No. 7, No. 12, No. 12A, No. 25, No. 26, No. 27, No. 59A, No. 69, No. 75, Extension of No. 75, No. 76, No. 78, No. 79, No. 86 and No. 92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highways No. 59 and Extension of No. 86.	State Government of Madhya Pradesh
7A	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km. 308.6 to Km. 323.6, (Durg Bypass)], No. 12A, No. 16, No. 43, No. 78, No. 200, No. 202 and No. 217 as are situated within the State of Chhattisgarh and National Highway No. 216.	State Government of Chhattisgarh";

(h) for serial number 8 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"8	So much of National Highways No. 4 [excluding from Km. 0.0 to Km. 103.0 from Chennai to Ranipet)], No. 7 [(excluding from Km. 134.000 to Km. 141.000 & Km. 156.000 to Km. 163.400, Krishnagiri-Salem-Madurai)] [excluding from Km. 33.0 to Km. 94.0 (Hosur to Krishnagiri)], and No. 45A [{including portion from Tamil Nadu/Pondicherry border to Nagapattinam)], No. 47, No. 49, No. 66, No. 205, No. 207, No. 208, No. 209 and No. 220 as are situated within the State of Tamil Nadu and National Highways No. 7A, No. 67, No. 68, No. 45B and No. 210.	State Government of Tamil Nadu";
----	---	----------------------------------

(i) for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"9	So much of National Highways No. 4, [excluding from Km. 0.0 to Km. 592.0 (from Bangalore to Karnataka-Maharashtra border)], No. 4A, No. 7 [(excluding from Km. 524.000 to 527.000, Km. 527.000, Km. 535.000 to Km. 538.000 and Km. 538.000 to Km. 539.000 Hyderabad-Bangalore)] [excluding from Km. 0.0 to Km. 33.0 (from Bangalore to Karnataka-Tamil Nadu border)], No. 9, No. 13 (including portion from Chitradurga to Mangalore), No. 17, No. 63, No. 207, No. 209 and No. 212 as are situated within the State of Karnataka and National Highways No. 48, No. 206 and No. 218.	State Government of Karnataka";
----	--	---------------------------------

(j) for serial number 10 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"10	So much of National Highways No. 5 [(excluding from Km. 233 to Km. 418 from Andhra Pradesh/Orissa border to Bhubaneswar)] [(from Km. 0.0 to Km. 200.0 from Bhubaneswar to Balasore)], No. 6, No. 23, No. 43, No. 200 and No. 217 as are situated within the State of Orissa and National Highways No. 5A, No. 42, No. 201, No. 203 and No. 215	State Government of Orissa";
-----	--	------------------------------

(l) for serial number 12 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"12	So much of National Highways No. 3 [excluding from Km. 41.000 to Km. 51.000 (Agra-Dholpur section)], No. 11, No. 12, No. 14, No. 15, No. 65, Extn. of No. 65, No. 76, No. 79 as are situated within the State of Rajasthan and National Highways No. 11A, No. 89 and No. 90	State Government of Rajasthan";
-----	---	---------------------------------

(m) for serial number 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"13	So much of National Highways No. 2A, No. 3 (excluding from Km. 8.00 to Km. 24.00 Agra-Gwalior), No. 7, No. 11, No. 19, No. 24 [excluding from Km. 27.62 to Km. 59.00 (Ghaziabad-Hapur including Hapur bypass) and excluding from Km. 148.43 to Km. 166.65 (Moradabad bypass)], No. 25 (excluding from Km. 59.500 to Km. 75.500 and Km. 11.389 to Km. 21.800 (Lucknow-Kanpur), No. 26, No. 28, No. 58, No. 72, No. 73, No. 74, No. 75, No. 75A, Extension	State Government of Uttar Pradesh;
-----	--	------------------------------------

	of No. 75, No. 76, No. 86, No. 87 and No. 92 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No. 29, No. 56, No. 91, No. 93, No. 96 and No. 97	
13A	So much of National Highways No. 58 (excluding from Km. 228 to Km. 524.000), No. 72, No. 73, No. 74 and No. 87 as are situated within the State of Uttaranchal and National Highway No. 94 (from Km. 123 to Km. 218 Dharasu to Kuthnane near Yamnotri)	State Government of Uttaranchal";

(n) for serial number 14 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

"14	So much of National Highways No. 6 [excluding from Km. 0.0 to Km. 136.000 (from Calcutta to Kharagpur)], No. 31 [(excluding from Km. 447 to Km. 470 and Km. 476.150 to Km. 500 Dalkhola to Islampore sub-sections 1 and 2], No. 31C, No. 32, No. 60, (including portion from Kharagpur to Asansol) and No. 81 as are situated within the State of West Bengal and National Highways No. 34, No. 35, No. 41 and No. 55	State Government of West Bengal".
-----	---	-----------------------------------

[No. NH-14012/1/2001-P&M]

S.C. SHARMA, Director General (Road Development) & Addl. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 1181 dated 4.4.1957 and last amended vide S.O. 1024 (E) dated 1.12.1998 and S.O. 77(E) dated 4.2.1999 and S.O. 195(E) dated 6.3.2000.